

## सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA,MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु – 560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O, BENGALURU –560 037

वर्ग अनुमोदन सं.: 1079 / Type Approval No.: 1079

नवीकरण सं./Renewal No.: 03 / संशोधन सं./Amendment No.: 02

विषय/Sub: ग्राउंण्ड क्रू जैक बॉक्स ,पार्ट सं. एसई-जीसी-जेबी01/

Ground Crew Jack Box, Part No.: SE-GC-JB01

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स सदर्न इलेक्ट्रॉनिक्स ,प्राइवेट लिमिटेड़ (बेंगलूरु)16-ए, पीन्या इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-1, पीन्या, बेंगलूरु 058 560 –द्वारा अभिकल्पितिवकसित तथा उत्पादित , "ग्राउंण्ड क्रू जैक बॉक्स" पार्ट सं . एसई-जीसी-जेबी01 को निर्धारित अप्रूवड कम्पोनेंट बिल्ड स्टैंडर्ड (ए सी बी एस) दस्तावेज़ सं. एसईबी/एसीबीएस/1/जीसीजेबी, दिनांक 20 जनवरी 2020, के अनुसार और आर सी एम ए (वायुयान) द्वारा अनुमोदित तकनीकी विनिर्देश सं. ए/डीजीएम (डीएल)/विनिर्देश/जीसीजेबी/2001, इश्य-सी. दिनांक 30 जनवरी 2001 और क्वालिफिकेशन टेस्ट आवश्यकताओं के अनुकूल वर्ग अनुमोदित/नवीकृत किया जाता है। इस वर्ग अनुमोदन का आधार और संगत उड़नयोग्यता अनुमोदन सूचना वर्ग अनुमोदन डेटा शीट के परिशिष्ट-ए / प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन दस्तावेज में विवरित किया गया है।

This is to state that "Ground Crew Jack Box", bearing Part No.:SE-GC-JB01, designed, developed and manufactured by M/s Southern Electronics (Bangalore) Pvt. Ltd., 16-A, Peenya Industrial Area, Phase-1, Peenya, Bangalore-560 058, is hereby Type Approved / Renewed as per the Approved Component Build Standard (ACBS) vide document No. SEB/ACBS/1/GCJB, dated 20 January 2020 and conforms to Technical Specification No. A/DGM (DL)/SPEC/GCJB/2001, Issue-C, Dt. 30 January 2001 and Qualification Test Requirements approved by RCMA (Aircraft). The basis for this Type Approval and the relevant Airworthiness Approval information are described in the 'Type Approval Data Sheet' at Appendix A /Initial TA documents.

यह अनुमोदन निबंधन और शर्तों के अधीन तथा पृष्ट के दूसरी ओर उल्लेखित संशोधन सहित नवीकरण विवरणों के अनुसार जारी/नवीकृत किए गए दिनांक से (01-06-2020 से 31-05-2025 तक) पाँच वर्ष के लिए वैध है।

This approval is valid for a period of five years from the date of issue/ renewal (from 01-06-2020 to 31-05-2025) subject to terms, conditions and renewal cum amendment details mentioned overleaf.

सं. /No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070/टीए/TA-1079

दिनांक / Date : **06** June 2020 फैक्स सं. / Fax No.: 080-2523 0856

Format as per: CEMILAC/TCS/5070, dated: 22nd March 2019

(कामेशगोयल/ Kamesh Goyal) वैज्ञानिक'जी'/ Scientist 'G'

स्थानामन्नमुख्यकार्यपालक(उड़नयोग्यता)/ Offg. Chief Executive (Airworthiness)